क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम– Untied Fund for Health Sub Centre.

बजट / एफ.एम.आर. शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर) – Untied Fund for Health Sub Centre

बजट क्रम संख्या / एफ.एम.आर. कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) B2.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र के रख–रखाव एवं जरूरत के अनुसार आवश्यक कार्य हेतु Untied Fund दिया जाता है। वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित ईकाई राषि वर्ष 2012–13 में उपयोग की गई राषि के आधार पर प्रदान की जा रही है।

ईकाई राशि:

- @ Rs. 6500/- प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र जिसका खर्च वर्ष 2012–13 में 90 प्रतिषत से ज्यादा था। (**अरबल, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, गया, जमुई, कैमुर, खगड़िया, किशनगंज, लक्खीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, समस्तीपुर, शेखपुरा, सीवान, वैशाली एवं पं० चम्पारण**)
- . @ Rs. 4500/- प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र जिसका खर्च वर्ष 2012–13 में 80 से 90 प्रतिषत था। (**बांका, बक्सर, जहानाबाद, कटिहार, सारण एवं सुपौल**)
- @ Rs. 3500/- प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र जिसका खर्च वर्ष 2012–13 में 60 से 80 प्रतिषत था। (**अररिया, औरंगाबाद, गोपालगंज, मधेपुरा, सहरसा एवं सीतामढ़ी**)
- @ Rs. 2500/- प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र जिसका खर्च वर्ष 2012–13 में 40 से 60 प्रतिषत से कम था। (**मधुबनी, नावादा, पूर्णीया एवं रोहतास**)
- @ Rs. 2075/- प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र जिसका खर्च वर्ष 2012–13 में 40 से प्रतिषत से कम था। (**दरभंगा, पूर्वी–चम्पारण एवं शिवहर**)
-

जिला स्वास्थ्य समिति इस बात के लिए स्वतंत्र है कि जिले अन्तर्गत जिस स्वास्थ्य उपकेन्द्र द्वारा वर्ष 2012–13 में राषि का पुर्ण उपयोग किया है उस स्वास्थ्य उपकेन्द्र को व्यय के आधार पर अधिक राषि आवंटित कर सकती है। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने के आधार पर जिले माह अक्टुबर, 2013 में स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए इस मद के अन्तर्गत अतिरिक्त राषि की मांग कर सकती हैं।

13/7/13

वित्तीय दिशा–निर्देश

स्वास्थ्य उपकेन्द्र के Untied Fund का उपयोग निम्नलिखित कार्यो में किये जा सकते हैः–

1. स्वास्थ्य उपकेन्द्र के छोटे परिवर्तन यथा परदा लगाने मे, नल की मरम्मती वल्ब लगाने में एवं स्थानीय स्तर पर छोटी मरम्मती ।
2. स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु रजिस्टर/फाईल खरीदने में तथा विशेष परिस्थिति में कुर्सी/टेबुल/बैंच खरीदने में ।
3. स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर पर आवश्यक सामाग्री, उपकरण एवं मशीन की खरीददारी एवं रिपेयर।
4. आंगनवाड़ी केन्द्र पर आयोजित ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस–VHSND में लाभार्थी तथा सेवा प्रदाता के बैठने के लिए भाड़े पर कुर्सी, टेबुल, बैंच, दरी एवं अन्य आवष्यक समाग्री के लिए आवष्यक हो तो अधिकतम 100 रूपये प्रति ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस–VHSND प्रति माह के दर से राषि खर्च की जा सकती है।
5. स्वास्थ्य उपकेन्द्र की साफ–सफाई के लिए ।
6. आपातस्थिति में गर्भवती महिला/माता/नवजात शिशु के लिए परिवहन पर व्यय ।
7. महामारी के समय नमूने के आवागमन हेतु परिवहन मद में ।
8. स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर कन्जूमेबुल्स (यथा–बैन्डेज) की खरीद पर ।
9. गांव के लिए ब्लीचिंग पाउडर एवं संक्रमणनाशी चीजों की खरीद पर ।
10. जलजमाव के रोकथाम हेतु तथा साफ सफाई करने में, जिसे उत्पन्न बीमारी को रोका जा सके।
11. राशि का उपयोग सार्वजनिक उपयोग में होनेवाली चीजों के लिए करना है, व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए नही ।

उपर्युक्त बिन्दु मात्र संदर्भ के लिए है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की अनटाईड फंड का उपयोग संयुक्त हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत व्यक्ति एवं सदस्य एक बैठक कर स्वास्थ्य उपकेन्द्र के लिए आवश्यकतानुसार आवश्यक सामग्री का क्रय/रिपेयर पर इस राशि का उपयोग करने के लिए सक्षम है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं– तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) 9135, Dated 09.02.2009 (ख) **22378, Dated 27.12.10**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम– श्री रंजीत समैयार

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर– 09470003025

FMR Code - B 2.3

13/7/13